रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939
No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 11 अक्तूबर, 2017

सं.भा.स.वि./मुख्यालय/प्रशा./अधिसूचना/2017.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :

संविधान 2 (4)

[कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव संख्या ईसी 2016-35-17]

"2 (4) कुलपति, उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, जो भी पहले हो, और वह फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद, वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक कार्यालय में बने रहेंगे और अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे:

बशर्ते यह भी कि आगंतुक अपने पद का समय समाप्त होने के बाद किसी भी कुलपति को निर्देशित कर सकता है, ऐसी अवधि के लिए कार्यालय में जारी रखने के लिए, एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं, जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। "

"संविधान 4 (2)

[कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव संख्या ईसी 2016-35-17]

"4 (2) प्रो-वाइस-चांसलर के पद की अवधि ऐसी होगी, जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा तय की गयी है, लेकिन यह किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है या कुलपति की पद की समाप्ति तक नहीं होगा , जो भी पहले हो:

बशर्ते प्रो-वाइस-चांसलर जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि, किसी भी मामले में, एक प्रो-वाइस-कुलपति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रिटायर हो जाएंगे:

यह भी कि प्रो-कुलपति कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, संविधान 2 के खंड (6) के तहत, उप-कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कार्यालय में रहेगा, जब तक एक नया कुलपति या कुलपति, जैसा कि मामला हो सकता है,

बशर्ते कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाए और कुलपति के कार्यों को पूरा करने के लिए कोई प्रो-कुलपति नहीं होता है, तो कार्यकारी परिषद एक प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति कर सकती है। जैसे ही किसी कुलपति की नियुक्ति की जाती है और अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे, नियुक्त किए गए प्रो कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, । "

IndiaCode

संविधि 5 ए [परीक्षा नियंत्रक]

[कार्यकारी परिषद के संकल्प सं। ईसी 2017-38-16]

(1) कार्यकारी परिषद द्वारा परीक्षा के नियंत्रक को इस प्रयोजन के लिए गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा और वह पूरे समय का वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) परीक्षाओं के नियंत्रक की सेवा की योग्यता, भर्ती, उपायों और अन्य नियमों और शर्तों के मोड, कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यादेशों/कार्यकारी परिषद के प्रस्तावों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

बशर्ते कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परीक्षा नियंत्रक रिटायर हो जाएंगे।

(4) यदि मृत्यु, इस्तीफे या अन्यथा किसी कारण परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो जाता है, या यदि वह बीमार या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उनके कार्यालय का कर्तव्यों ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(5) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को व्यवस्थित और अधीक्षक के रूप में प्रबंधन करेगा, जैसा कि अध्यादेशों/कार्यकारी परिषद के संकल्पों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ।

संविधान 6 ए - [विश्वविद्यालय के रखरखाव वाले परिसरों]

[कार्यकारी परिषद के संकल्प सं। ई सी 2017-38-16]

(1) विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखे परिसर के निदेशक को कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा और वह पूरे समय के लिए विश्वविद्यालय का वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) निदेशक को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन एक समय में तीन वर्षों तक दो एक्सटेंशन के लिए पात्र होंगे।

(3) निदेशक की सेवा की योग्यता, भर्ती, कुल महंताना उपायों और अन्य नियमों और शर्त, कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यादेशों / कार्यकारी परिषद संकल्पों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि निदेशक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रिटायर हो जाएंगे।

(4) यदि निदेशक का कार्यालय मौत, इस्तीफे या अन्यथा, या यदि वह बीमार या किसी अन्य कारण के कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, के कारण रिक्त हो जाता है, तो उनके कार्यालय के कर्तव्यों को इस तरह के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(5) निदेशक परिसर के शैक्षणिक-सह-प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा और अध्यादेशों/कार्यकारी परिषद के संकल्पों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे कर्तव्यों और कार्यों का प्रदर्शन करेगा।

ए. के. पालुसकर, सेवानिवृत रजिस्ट्रार

[विज्ञापन III/4/असा./276/17]

IndiaCode

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 11th October, 2017

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act**,** 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

The Schedule

(See Sec 29)

"Statute 2(4)

[Executive Council resolution No. EC 2016-35-17]

"2(4)The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office:

Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him."

"Statute 4(2)

[Executive Council resolution No. EC 2016-35-17]

"4(2) The term of office of a Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council but it shall not in any case exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier:

Provided that a Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for reappointment:

Provided further that, in any case, a Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of seventy years:

Provided also that the Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice-Chancellor under clause (*6*) of Statute 2, continue in office notwithstanding the expiration of his term of office as Pro-Vice-Chancellor, until a new Vice-Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, assumes office:

Provided also that when the office of the Vice-Chancellor becomes vacant and there is no Pro-Vice-Chancellor to perform the functions of the Vice-Chancellor, the Executive Council may appoint a Pro-Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor so appointed shall cease to hold office as such as soon as a Vice-Chancellor is appointed and enters upon his office."

Statute 5 A [Controller of Examinations]

[Executive Council resolution No. EC 2017-38-16]

(1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for reappointment subject to satisfactory performance.

(3) The qualifications, mode of recruitment, emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be prescribed by the Executive Council by way of Ordinances/Executive Council Resolutions.

Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of 62 years.

(4) If the office of the Controller of Examinations becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the duties of his office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Examinations shall arrange for and superintend the examinations of the University in the manner as may be prescribed by Ordinances/ Executive Council Resolutions."

"Statute 6 A – [Directors of University-maintained Campuses]

[Executive Council resolution No. EC 2017-38-16]

(1) The Director of a University-maintained Campus shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Director shall be appointed for a term of three years and shall be eligible for eligible for two extensions up to three years at a time subject to satisfactory performance.

(3) The qualifications, mode of recruitment, emoluments and other terms and conditions of service of the Director shall be prescribed by the Executive Council by way of Ordinances/Executive Council Resolutions.

Provided that the Director shall retire on attaining the age of 65 years.

(4) If the office of the Director becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the duties of his office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Director shall function as the academic-cum-administrative head of the Campus and shall perform such duties and functions as may be prescribed by Ordinances/ Executive Council Resolutions."

A. K. PALUSKAR, Retd. Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./276/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.16 20:15:32 +05'30'